



कार्यालय-प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 763 / 12-1, दिनांक, मसूरी, 30-08-2017।

सेवा में,

अधिशारी अभियन्ता,
यांत्रिक शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

विषय - जनपद देहरादून के ग्राम अजबपुर कला अन्तर्गत देवाचल विहार में नलकूप निर्माण हेतु अपेक्षित (6.00x5.00=30.00 वर्ग मी० अर्थात् 0.0030 है० (ग्राम समाजों में निहित, जंगल वन विभाग) भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

सन्दर्भ :- प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 की पत्र सं० 357/X-4-17/02(06)/2017, दिनांक 18 जुलाई, 2017 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 273/FP/UK/WATER/26647/2017 दिनांक 24 जुलाई, 2017।

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या-एफ०न०-11-09/98-एफ०सी०, दिनांक 13 फरवरी, 2014 एवं दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 में निहित प्राविधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन, की पत्र सं० 357/X-4-17/02(06)/2017, दिनांक 18 जुलाई, 2017 से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के उक्त सन्दर्भित पत्र जो कि आपको सम्बोधित तथा इस कार्यालय को पृष्ठांकित है द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में विषयांकित कार्य के निर्माण हेतु प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित देय धनराशियों का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र०सं०	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल(है० में)	दर	देय धनराशि (रु०में)
1.	प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव।	100 पौध (0.50 है०)	1000/पौध	1,00,000=00
2.	एन०पी०बी०	0.0030 है०	6,57,000.00	1971=00
योग :-				101971=00

अतः उक्तानुसार आनलाईन चालान जनरेट कर देय धनराशियों के भुगतान हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं० 1 व 2 तथा अन्य शर्तों 3, 4, 5, 6 एवं 7 की अनुपालन आख्या मय संलग्नकों सहित आनलाईन कर अनुपालन आख्या की तीन प्रतियां अग्रेतर कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध करने का कष्ट करें।

A.E.-Ist

12/09

E.E.

भवदीय

(डा० साकित बडोला, भाबसे)

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 763 / () तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में साक्षर प्रेषित।

(डा० साकित बडोला, भाबसे)

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।